सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी–221002

बैक/श्रेणी सुधार (संस्थागत) आनलाईन परीक्षावेदनपत्र–2015 भरने हेतु महाविद्यालयों/अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. निम्नलिखित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय की निदर्शिका के नियमों का अनुपालन अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन–पत्र निरस्त हो जायेगा।
2. सभी प्रविष्टियों को भरा जाना अनिवार्य है।
3. आनलाईन परीक्षावेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद परीक्षावेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नहीं खुलेगा।
4. महाविद्यालय/परीक्षार्थी अन्तिम तिथि के पूर्व ही अपना परीक्षावेदन–पत्र भरा जाना सुनिश्चित करें।
5. परीक्षार्थी अपने नाम, माता नाम, पिता नाम तथा जन्म तिथि को पूर्वमध्यमा/हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र के अनुसार ही अंकित करें। महाविद्यालय द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य है।
6. माता नाम तथा पिता नाम के पूर्व श्री/श्रीमती अथवा अन्य कोई शब्द अंकित न करें। मात्र पूर्वमध्यमा/हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र के अनुसार वास्तविक नाम ही प्रविष्ट करें।
7. परीक्षार्थी का रंगीन पासपोर्ट आकार का स्कैन किया गया छायाचित्र (Photograph), जो 50 KB (JPEG/JPG प्रारूप में) या इससे कम क्षमता का हो, को अपलोड करना है।
8. परीक्षार्थी का स्कैन किया गया हस्ताक्षर, जो 20 KB (JPEG/JPG प्रारूप में) या इससे कम क्षमता का हो, को अपलोड करना है।
9. परीक्षावेदन–पत्र भरते समय Submit/सुरक्षित करने के पश्चात स्क्रीन (Screen) पर दिये गये नियंत्रण संख्या (Control Number) को कहीं अंकित कर भविष्य के लिए सुरक्षित कर लें।
10. परीक्षावेदन भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने पर महाविद्यालय स्तर पर ही निर्धारित अवधि में इसका सुधार सम्भव है।
11. किसी भी प्रकार भी समस्या होने पर हेल्पलाइन पर सम्पर्क करें।
12. राज्य, जिला, महाविद्यालय नाम एवं विषय के चयन/प्रविष्टि में विशेष सावधानी बरतें।
13. परीक्षा शुल्क ई–चालान के माध्यम से इलाहाबाद बैंक के किसी भी शाखा में जमा किया जाएगा।
14. बैकपेपर/श्रेणी सुधार परीक्षा–शुल्क जमा करने के लिए महाविद्यालय अलग से ई–चालान का विकल्प अपने Login से प्राप्त कर सकेगा।
15. संस्थागत परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए, महाविद्यालय द्वारा अपने Login तथा Password के माध्यम से ई–चालान विकल्प द्वारा ई–चालान का निर्माण करके 24 घण्टे बाद इलाहाबाद बैंक के किसी भी शाखा में परीक्षा शुल्क जमा किया जाएगा।
16. परीक्षा शुल्क जमा करने के 24 घण्टे बाद महाविद्यालय अपने Login के द्वारा ई–चालान में अंकित Transaction ID को अपडेट करते हुए चालान में वर्णित छात्र

संख्या एवं तद्नुसार जमा किये शुल्क के सापेक्ष उपलब्ध परीक्षावेदनपत्रों को भरवा सकेगा।

17. परीक्षावेदनपत्रों को भरने एवं प्रविष्टियों के सुधार के अंतिम तिथि के बाद महाविद्यालय अपने Login के माध्यम से परीक्षार्थियों की नामावली को मुद्रित कर सकेगा।
18. ई–चालान की तीन प्रतियां होगी। एक प्रति बैंक अपने पास सुरक्षित रखेगा तथा दूसरी महाविद्यालय प्रति महाविद्यालय अपने पास सुरक्षित रखेगा। विश्वविद्यालय प्रति को मुद्रित परीक्षावेदनपत्रों एवं नामावली के साथ निर्धारित तिथि के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
19. परीक्षावेदनपत्रों को अर्हता परीक्षा प्रमाण पत्रों/अंकपत्रों की सत्यापित छायाप्रतियों, हाईस्कूल/समकक्ष प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति एवं छात्र–नामावली तथा ई–चालान की विश्वविद्यालय प्रति को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
20. **बैकपेपर/श्रेणी सुधार के परीक्षार्थी उसी महाविद्यालय से परीक्षा आवेदनपत्र भर सकेंगे जिस महाविद्यालय से सम्बंधित परीक्षा में प्रविष्ट थे।**
21. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थल पर पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा के विवरण (वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक, पूर्णांक तथा परीक्षा–संस्था का नाम इत्यादि) की प्रविष्टियों के शुद्धता की जांच अवश्य कर लें।
22. पूर्वमध्यमा द्वितीय तथा उत्तरमध्यमा द्वितीय खण्ड के परीक्षावेदनपत्र में प्रथम खण्ड की परीक्षा के विवरण (वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक, अतिरक्ति विषय अंग्रेजी का प्राप्तांक तथा परीक्षा–संस्था का नाम इत्यादि) की प्रविष्टियों के शुद्धता की जांच अवश्य कर लें।
23. शास्त्री द्वितीय खण्ड के परीक्षावेदनपत्र में प्रथम खण्ड की परीक्षा के विवरण (वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक, अतिरक्ति विषय अंग्रेजी का प्राप्तांक, पर्यावरण अध्ययन का प्राप्तांक तथा परीक्षा–संस्था का नाम इत्यादि) की प्रविष्टियों के शुद्धता की जांच अवश्य कर लें।
24. शास्त्री तृतीय खण्ड के परीक्षावेदनपत्र में प्रथम तथा द्वितीय खण्ड की परीक्षा के विवरण (वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक, अतिरक्ति विषय अंग्रेजी का प्राप्तांक, पर्यावरण अध्ययन का प्राप्तांक तथा परीक्षा–संस्था का नाम इत्यादि) की प्रविष्टियों के शुद्धता की जांच अवश्य कर लें।
25. आचार्य द्वितीय खण्ड के परीक्षावेदनपत्र में प्रथम खण्ड की परीक्षा के विवरण (वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक तथा परीक्षा–संस्था का नाम इत्यादि) की प्रविष्टियों के शुद्धता की जांच अवश्य कर लें।
26. पूर्वमध्यमा परीक्षा के प्रथम एवं अन्तिम खण्ड के मध्य में (अध्ययन वर्षों को छोडकर) अधिकतम दो वर्षो का अन्तराल मान्य है, इससे अधिक अन्तराल मान्य नही है। प्रत्येक दशा में पूर्वमध्यमा पाठयक्रम चार (04) वर्षो में पूर्ण करना अनिवार्य है।
27. उत्तरमध्यमा परीक्षा के प्रथम एवं अन्तिम खण्ड के मध्य में (अध्ययन वर्षों को छोडकर) अधिकतम दो वर्षो का अन्तराल मान्य है, इससे अधिक अन्तराल मान्य नही है। प्रत्येक दशा में उत्तरमध्यमा पाठयक्रम चार (04) वर्षो में पूर्ण करना अनिवार्य है।
28. शास्त्री परीक्षा के प्रथम एवं अन्तिम खण्ड के मध्य में (अध्ययन वर्षों को छोडकर) अधिकतम तीन वर्षो का अन्तराल मान्य है, इससे अधिक अन्तराल मान्य नही है। प्रत्येक दशा में शास्त्री पाठयक्रम छः (06) वर्षो में पूर्ण करना अनिवार्य है।

29. आचार्य परीक्षा के प्रथम एवं अन्तिम खण्ड के मध्य में (अध्ययन वर्षों को छोडकर) अधिकतम दो वर्षो का अन्तराल मान्य है, इससे अधिक अन्तराल मान्य नही है। प्रत्येक दशा में आचार्य पाठयक्रम चार (04) वर्षो में पूर्ण करना अनिवार्य है।
30. किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अग्रसारित संस्थागत छात्रों के परीक्षावेदनपत्र उसी परीक्षा के लिये स्वीकार किये जायेंगे जिस परीक्षा एवं विषय की मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त है।
31. अग्रसारित करने वाले प्रधानाचार्य/अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से पूरित एवं त्रुटिरहित है तथा आवेदन पत्र में अंकित छात्र/छात्रा नाम, पिता नाम, माता नाम उसके हाईस्कूल अथवा तत्समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम से भिन्न न हों, भिन्नता की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को निर्धारित संशोधन शुल्क देय होगा। त्रुटिपूर्ण आवेदनपत्र कार्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व अग्रसारण करने वाले अधिकारी का ही होगा।
32. परीक्षा सम्बन्धी कोई भी वाद "उच्चन्यायालय, इलाहाबाद" में ही प्रस्तुत किया जायेगा।
33. परीक्षावेदनपत्र के अपूर्ण होने, अर्हता संदिग्ध होने एवं आवश्यक सूचना अंकित न होने एवं पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा का अंकपत्र संलग्न न होने की स्थिति में परीक्षावेदनपत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। जिसकी सूचना देना आवश्यक नही होगा।
34. पर्यावरण की परीक्षा शास्त्री प्रथम खण्ड में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
35. छात्र जिस महाविद्यालय में जिस कक्षा के प्रथम खण्ड में प्रवेश लेगा, उसे उसी महाविद्यालय से उस कक्षा के सम्पूर्ण खण्डों की परीक्षा पूर्ण करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर परीक्षावेदनपत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
36. परीनियम 21.05 के अनुसार कोई भी परीक्षाफल–संस्कार बैकपेपर/श्रेणी सुधार विश्वविद्यालय की आगामी सत्र की नियमित परीक्षा के साथ स्नातक परीक्षा के किसी भाग के एक विषय में तथा शिक्षाशास्त्री ग्रन्थालय विज्ञान शास्त्री परीक्षा के एक प्रश्नपत्र में एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के किसी एक भाग के एक प्रश्नपत्र में ही परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमन्य है। एक विषय में अतिरिक्त अग्रेंजी भी सम्मिलित है।

विशेष–बैकपेपर/श्रेणी सुधार परीक्षा में स्नातक/शास्त्री परीक्षा के किसी एक भाग के एक विषय में अधिकतम दो प्रश्नपत्रों एवं स्नाकोत्तर/आचार्य परीक्षा के किसी एक प्रश्नपत्र में ही सम्मिलित हो सकते है। परीक्षार्थी मात्र एक बार ही आगामी सत्र की नियमित परीक्षा में यह अवसर प्राप्त कर सकते है पुनः यह अवसर नही दिया जायेगा।

37. प्रथमा/पूर्वमध्यमा/उत्तरमध्यमा परीक्षाओं में परीक्षाफल–संस्कार बैकपेपर हेतु शास्त्री परीक्षा के समान ही नियम है। परीक्षार्थी मात्र एक बार ही आगामी सत्र की नियमित परीक्षा में यह अवसर प्राप्त कर सकते है पुनः यह अवसर नही दिया जायेगा।

38. बैकपेपर/श्रेणी सुधार के परीक्षावेदन–पत्र के साथ पूर्व–परीक्षा का मूल अंकपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने की स्थिति में परीक्षावेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। जिसकी सूचना देना आवश्यक नही होगा।